संख्या-97/3221जेएल/22-3-14-800(311)/2012

प्रेषक,

अखिलेश त्रिवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
मैनपुरी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2014***

विषय- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के बंदी सूरज सिंह यादव पुत्र स्व0 राम सहाय सिंह यादव, निवासी ग्राम-छिवकरिया, थाना-भोगॉव, जिला-मैनपुरी को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के बंदी सूरज सिंह यादव पुत्र स्व0 राम सहाय सिंह यादव, निवासी ग्राम-छिवकरिया, थाना-भोगॉव, जिला-मैनपुरी को शासनादेश संख्या-49/2248जेएल/22-3-14-800(311)/2012, दिनांक 20-10-2014 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अखिलेश त्रिवेदी)
उप सचिव।

संख्या-97/3221जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलेश त्रिवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in